मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2002 (श्रावण 9, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री -

(1) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 16 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए.3-20-2000-विक-पांच-(16), दिनांक 28 फरवरी, 2002; तथा

(2) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक ए-5-4-2001-विक-पांच(30), दिनांक 20 मार्च 2002; एवं
(ख) क्रमांक एफ-13-22-89-वि.क.-पांच (68), दिनांक 3 जून 2002,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अजय विश्नोई, हरिन्दरजीत सिंह (बब्बू), अंचल सोनकर, सदस्य, जबलपुर में पूर्व विधायक के परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री राजमणि पटेल, रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र में अपहरण की घटनाएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री शिवमोहन सिंह, सदस्य, सतना जिले में सोन नदी पर नौघटा पुल बनाये जाने; तथा

(2) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के नगर पंचायत तरीचर कलां की भूमि खसरा नं. 1923-1/2 से अवैध कब्जा हटाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 30 मि. — (1) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. — (2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 16 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (शेष 50 मि.) — प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

डॉ.ए.के.पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 30 जुलाई, 2002